

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।

UPSH040261672022



Warrant or Summons Criminal Case/13744/2023

DURVESHA Vs. MUNISH SINGH

थाना कांट, शाहजहाँपुर।

04-08-2023

पत्रावली लांचोपरान्त प्रस्तुत हुयी हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादिनी द्वारा स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० एवं धारा 202 दं.प्र.सं. में पी०डब्ल्यू-1 तथा पी.डब्ल्यू-2 के बयान अंकित कराये जा चुके हैं। परिवादिनी विगत कई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी अपना परिवाद चलाने की इच्छुक नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत परिवाद में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक अनुपालन उपरान्त अभिलेखागार सुरक्षित की जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहजहाँपुर।
आई.डी. नम्बर-यू.पी. 1875